निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 55/2011
दायरा दिनांकः—25.04.2011
निण्झय दिनांकः— 29.1.25

उनवान

1. उषा पुत्री रामनारायण
2. शीला पुत्री रामनारायण
3. देवेन्द्र पुत्र रामनारायण
4. पुष्पलता पुत्री रामनारायण
5. राजेश्वरी पुत्री रामनारायण
6. राजेन्द्र पुत्र रामनारायण जातियान जाट निवासीगण ग्राम रीझा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. श्रीमति शकुन्तला बेवा प्रकाश
2. संगीता पुत्री प्रकाश
3. निर्मल चौधरी पुत्र प्रकाश
4. प्रियंका चौधरी पुत्री प्रकाश
5. पवन उर्फ गोल पुत्र प्रकाश जाति जाट निवासीगण ग्राम रीझा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91,92ए आर0 टी0 एक्ट0
एवं 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय दिनांकः— 29.1.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री राकेश सोनी — वादी
2. श्री उमाशंकर गोस्वामी —प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91,92ए आर.टी.ए एवं 136 एल0आर0एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम रीझा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज.) की भूमि मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2067 से 2070 के के अनुसार खाता संख्या 33 की भूमि खसरा नं. 66/1 रकबा 10 बीघा, खसरा नं. 176 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 189 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा कुल 3 किता रकबा 25 बीघा 16 बिस्वा इसी प्रकार खाता संख्या 3 की भूमि खसरा नं. 42 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नं. 43 रकबा 8 बिस्वा एवं खसरा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नं. 209/2 रकबा 1 बीघा कुल 3 कित्ता रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा इसी प्रकार खाता संख्या 54 की भूमि खसरा नं 40 रकबा 5 बिस्वा ओढी स्थित है जो वादीगण के पिता रामनारायण के खातेदारी दर्ज रेवेन्यू रिकार्ड थी। वादीगण के पिता रामनारायण का स्वर्गवास हो चुका है। जिनका फौती इंतकाल नं. 177 खोलकर तस्दीक किया गया है जिसमें सभी वादीगण का नाम दर्ज नहीं किया है तथा गलत नाम दर्ज कर दिये हैं। रामनारायण के वादीक्रम 1 ता 7 पुत्र व पुत्रियां हैं तथा वादीक्रम 8 विधवा पत्नी है। सभी रामनारायण जी के वारिसान है जिनका नाम रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए था। हल्का पटवारी द्वारा बिना वादीगण से पूछताछ किये दिगर व्यक्ति से नाम पते पूछकर कैम्प खोपर में इंतकाल नं. 177 तस्दीक किया गया है जो निरस्त किया जाकर मुताबिक सजरा वादीगण का नाम रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज किया जाकर खातेदार घोषित किया जावे। इतकाल नं. 177 के अंकित सजरे में राजू का नाम गलत दर्ज है राजू के स्थान पर राजेन्द्र दर्ज होना चाहिए तथा नरेन्द्र नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। सही नाम देवेन्द्र है। इसी प्रकार पुत्रियों में कांति नाम की कोई पुत्री नहीं है। ऊषा क अलावा 3 पुत्रियां क्रमशः शीला, पुष्पलता, राजेश्वरी भी हैं जिनका नाम सजरे में दर्ज नहीं किया गया है। जो दुरूस्त किया जाकर रेवेन्यू रिकार्ड में अमल किया जाये। उक्त इतकाल की जानकारी वादीगण को तब हुई जब वादीगण ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए हल्का पटवारी से नकलें दिनाक 2004 2011 को जप्त की इस वाद का हल्का पटवारी से दिनांक 20.04.2011 को नाम दुरूस्त करते के लिए निवेदन किया तो हल्का पटवारी ने न्यायालय से आदेश लाने पर ही दुरूस्त करने की कहने पर अंतिम रूप से पैदा हुआ

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश हुआ। वादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल नामान्तरण संख्या 177 ग्राम रीझा प्रर्दश 1 नकल जमाबन्दी ग्राम रीझा सम्वत् 2067–70 प्रर्दश 2 नकल जमाबन्दी ग्राम रीझा सम्वत् 2067–70 खाता संख्या 3 प्रर्दश 3 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 खाता संख्या 54 प्रर्दश 4 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 खाता संख्या 33 प्रर्दश 5 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 खाता संख्या 3 प्रर्दश 6 फोटो प्रति हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) प्रर्दश 7A प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत खोपर प्रर्दश 8 पेश किया साक्ष्य वादी में PW1 राजेन्द्र PW2 पप्पु PW3 शान्ति बाई PW4 सत्यनारायण के बयान कराये गये। प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नही किये गये।

वादीगण के वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

तनकी नम्बर 1 – आया कि वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमियात ग्राम रीझा की वादीगण के पिता रामनारायण के खातेदारी की थी

–वादी

तनकी नम्बर 2 – आया कि रामनारायण का फोती नामान्तरण नम्बर 177 खोला गया है जिसमें सारे वारिसान का नाम दर्ज नही किया गया है इसलिए इन्तकाल

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नम्बर 177 खारिज किया जाकर मुताबिक सजरा वाद पत्र की मद नम्बर 3 के अनुसार रेवेन्यू में दर्ज किया जावें। –वादी

तनकी नम्बर 3 – आया कि इन्तकाल की अपील होना चाहिये थी इसका वाद पत्र पर क्या असर है। –प्रतिवादी

तनकी नम्बर 4 – दादरसी

तनकी नम्बर 5– आया कि प्रतिवादीगण 1 ता 5 मृतक प्रकाश के स्थान पर कायम मुकामान बनाकर अपना हिस्स घोषित कराने के अधिकारी है।

–प्रतिवादी 1 ता 5

तनकी नम्बर 6– आया कि सिविल कोर्ट के हक त्याग को निरस्त करने का वाद प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 ने किया था जिसका निर्णय दिनांक 22.07.2022 को हुआ है जिसमे वाद खारिज किया गया है इसका वाद पर क्या असर है।

– वादी

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि प्रकाश का स्वर्गवास हो चुका है प्रकाश ने अपने जीवन काल में ही राजेन्द्र के पक्ष में हक त्याग कर दिया था वादीया शान्ति बाई ने भी अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग राजेन्द्र के पक्ष में कर दिया था वादीगण के पिता रामनारायण के खाते विवादित आराजी थी रामनारायण की मृत्यु के बाद वादीगण व रामनारायण के जायज वारिसान के नाम फोती नामान्तरण खुलना चाहियें था। लेकिन नामान्तरण नम्बर 177 खोला गया है वह गलत खोला गया है राजु के स्थान पर राजेन्द्र दर्ज होना है नरेन्द्र नाम का कोई भाई नही है सही नाम देवेन्द्र है कान्ति नाम की कोई बहिन नही है उसका नाम हटाना है तथा तीन नाम और जोडने है शीला पुष्पालता राजेश्वरी जिनका नाम सजरे में दर्ज नही किया गया है ग्राम पंचायत का वारिस प्रमाण पत्र पेश किया गया है प्रकाश व शान्ति बाई का हिस्सा राजेन्द्रके खातेदारी में दर्ज करना है प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय अति0 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 2 छबडा में शकुन्तला बनाम राजेन्द्र एक वाद पत्र हक त्याग पत्र खारिज कराने हेतु पेश किया जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.07.2022 को दावा खारिज कर दिया गया। प्रतिवादीगण ने प्रकाश के बीमार होने पर ना तो देखभाल करी और ना ही उनको पास रखा उनके बडे भाई प्रकाश वादीगण के पास ही रहा करतें थे। वही उनकी देखभल करता था उसी ने इलाज करवाया इसी बात से प्रसन्न होकर प्रकाश ने अपनी सम्पत्ति का हक त्याग राजेन्द्र के पक्ष किया गया था। प्रतिवादीगण द्वारा माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी छबडा का निर्णय अपास्त कर अपीलान्ट को जवाब व साक्ष्य का अवसर देने के निर्देश दिये गये। प्रतिवादी व उनके अभिभाषक आज भी उपस्थित नही है प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नही किये है प्रतिवादीगण का हक त्याग निरस्त करने का वाद सिविल न्यायालय में खारिज हो चुका है वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रतिवादीगण की ओर से अभिभाषक उपस्थित नही है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद तनकीवार निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है। ::–

तनकी नम्बर 1 – इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम रीझा सम्वत् 2067–70 खाता संख्या 33 के अनुसार खसरा नम्बर 166/1 रकबा 10 बीघा खसरा नम्बर 176 रकबा 11.15 बीघा खसरा नम्बर 189 रकबा 4.01 बीघा नकल जमाबन्दी ग्राम रीझाा खाता संख्या 3 के खसरा नम्बर 42 रकबा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 43 रकबा 8 बिस्वा खसरा नम्बर 209/2 रकबा 1.00 बीघा इसी प्रकार नकल जमाबन्दी खाता संख्या 64 के खसरा नम्बर 40 रकबा 5 बिस्वा एवं नामान्तरण संख्सा 177 ग्राम रीझा अनुसार उक्त भूमियात वादीगण के पिता रामनारायण के खातेदारी में दर्ज थी इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी वादीगण के पिता रामनारायण की थी अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2 – इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण को था। नकल नामान्तरण नम्बर 177 दिनांक 11.09.1998 ग्राम रीझा के अनुसार रामनारायण का फोती नामान्तरण खोला गया। मुताबिक सजरा प्रकाश, राजु, नरेन्द्र पुत्र उषा, कान्ति, पुत्रिया तथा बेवा शान्ति बाई का नाम दर्ज किया गया जबकि सरपंच ग्राम पंचायत खोपर द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र अनुसार मृतक रामनारायण के जायज वारिस शान्ति बाई पत्नि प्रकाश पुत्र उषा पुत्री शीला पुत्री देवेन्द्र पुत्र पुष्पलता पुत्री राजेश्वरी पुत्री तथा राजेन्द्र पुत्र है। नामान्तरण खोलतें समय सही नाम वारिस का दर्ज नही किया गया। ओर सम्पूर्ण वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज नही किया गया। मृतक रामनारायण के कुछ वारिसान छोड दिये गये तथा कुछ का नाम गलत दर्ज कर दिया गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा सजरा के अनुसार वारिसान होना स्वीकार किया गया है वादी साक्ष्य PW2 ने भी वारिसान सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गयें वारिस प्रमाण पत्र अनुरूप होने का कथन किया है अतः सभी वारिसान प्रकाश पुत्र, उषा पुत्री, शीला पुत्री, देवेन्द्र पुत्र, पुष्पलता पुत्री, राजेश्वरी पुत्री, राजेन्द्र पुत्र, शान्ति बाई बेवा के नाम नामान्तकरण होना न्यायोचित है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3 – इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीग को था। वादीगण के पक्ष में विवादित आराजी का नामान्तरण 177 खोला गया है उसमें नाम गलत व कुछ नाम छोड दिये गये होना वाद पत्र में बताया है वादी को नामान्तरण की अपील करनी चाहिये थी जो वादीगण द्वारा नही की गई है नामान्तरण नम्बर 177 दिनांक 11.09.1998 को खोलकर तस्दीक किया गया है जिसकी अपील नियमानुसार किये जाने की मियाद 1 माह निर्धारित है प्रस्तुत वाद में वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में सम्पूर्ण वारिसान का नाम रिकार्ड में दर्ज नही होने का ज्ञान 20.04.2011 को नकले लेने पर हुआ। नामान्तरण की दिनांक से एवं वाद पत्र पेश करने की दिनांक 25.01.2011 में करीब 12 वर्षो का अन्तर है यदि वादीगण अपील

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

इन्तकाल प्रस्तुत करतें तो मियाद बिन्दु पर उनकी अपील खारिज हो सकती थी वादीगण अपने पिता की भूमियात में वारिस होने के नाते खातेदारी अधिकर प्राप्त करने के अधिकारी है जिसकी कोई समय सीमा राजस्थान काश्त कारी अधिनियम में निर्धारित नही हे वादीगण अपने अधिकारों की घोषणा कराने के लिए वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 5 – इस तकनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण को था। प्रतिवादीगण प्रकाश के वारिस एवं कायम मुकामान है मृतक प्रकाश द्वारा अपने हिस्से का जर्ये रजिस्टर्ड हक त्याग राजेन्द्र उर्फ राजु पुत्र रामनारायण जाट के पक्ष में दिनांक 26.04.2011 को किया गया। प्रतिवादीगण उक्त रजिस्टर्ड हक त्याग को खारिज कराने के लिए माननीय न्यायालय अति0 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 2 में वाद पत्र शकुन्तला बनाम राजेन्द्र उर्फ राजु पेश किया जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.07.2022 को खारिज कर दिया गया मृतक खातेदार प्रकाश अपने हिस्से का हक त्याग कर चुका ओर माननीय न्यायालय द्वारा भी हक त्याग को खारिज नही किया गया है इसलिए प्रतिवादीगण को अपना हिस्सा घोषित कराने के अधिकारी नही है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 6 – इस तकनकी को साबित करने का भार वादी को था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल निर्णय दिनांक 22.07.2022 मुकदमा नम्बर 4/22 (पुराना पुराना 46/2012) एनवान शकुन्तला वगै0 बनाम राजेन्द्र उर्फ राजु के अनुसार मृतक प्रकाश के वारिसान द्वारा एक वाद पत्र हक त्याग निरस्त कराने हेतु माननीय न्यायालय अति0 वरिष्ठ न्यायाधीश संख्या 2 छबडा में पेश किया गया जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.07.2022 को वाद पत्र खारिज कर दिया गया। प्रतिवादीगण द्वारा हक त्याग खारिज कराने के लिए वाद पत्र माननीय सिविल न्यायालय में पेश किया जो माननीय न्यायालय द्वारा हक त्याग के संबंध में वादीगण का वाद खारिज कर दिया गया। इसलिए मृतक प्रकाश के वारिसान अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के निर्णय से यह साबित होता है कि मृतक प्रकाश द्वारा किया गये हक त्याग को अवैध नही मना जा सकता मृतक प्रकाश अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग कर चुके है तथा सिविल न्यायालय द्वारा भी हक त्याग को खारिज नही किया गया है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है नमान्तरण नम्बर 177 दिनांक 11.09.1998 खारिज किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम रीझा के खाता संख्या 33 के खसरा नम्बर 166/1 रकबा 10 बीघा खसरा नम्बर 176 रकबा 11.15 बीघा खसरा नम्बर 189 रकबा 4.01 बीघा में वादी क्रम 1 ता 5 को 1/8, 1/8 हिस्से व वादी क्रम 6 राजेन्द्र को 3/8 हिस्से का एवं

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

खाता संख्या 3 के खसरा नम्बर 42 रकबा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 43 रकबा 08 बिस्वा खसरा नम्बर 209/2 रकबा 1.00 बीघा में वादी क्रम 1 ता 5 को 1/16, 1/16 व वादी क्रम 6 राजेन्द्र को 3/16 हिस्से का तथा खाता संख्या 54 के खसरा नम्बर 40 रकबा 05 बिस्वा में वादी क्रम 1 ता 5 को 1/72– 1/72 एवं वादी क्रम 6 राजेन्द्र को 3/72 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। एवं तहसीलदार छबडा को उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

संख्या 55/2011	धारा 88,89,91,92ए, आर टी एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट	निर्णय दिनांकः– 29.01.2025

समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**

उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री राकेश सोनी–वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः– श्री उमाशंकर गोस्वामी

वाद शीर्षक

उनवान

1. उषा पुत्री रामनारायण
2. शीला पुत्री रामनारायण
3. देवेन्द्र पुत्र रामनारायण
4. पुष्पलता पुत्री रामनारायण
5. राजेश्वरी पुत्री रामनारायण

राजेन्द्र पुत्र रामनारायण जातियान जाट निवासीगण ग्राम रीझा तहसील छबडा जिला

बनाम

1. श्रीमति शकुन्तला बेवा प्रकाश
2. संगीता पुत्री प्रकाश
3. निर्मल चौधरी पुत्र प्रकाश
4. प्रियंका चौधरी पुत्री प्रकाश
5. पवन उर्फ गोल पुत्र प्रकाश जाति जाट निवासीगण ग्राम रीझा तहसील छबडा
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है नमान्तरण नम्बर 177 दिनांक 11.09.1998 खारिज किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम रीझा के खाता संख्या 33 के खसरा नम्बर 166/1 रकबा 10 बीघा खसरा नम्बर 176 रकबा 11.15 बीघा खसरा नम्बर 189 रकबा 4.01 बीघा में वादी क्रम 1 ता 5 को 1/8, 1/8 हिस्से व वादी क्रम 6 राजेन्द्र को 3/8 हिस्से का एवं खाता संख्या 3 के खसरा नम्बर 42 रकबा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 43 रकबा 08 बिस्वा खसरा नम्बर 209/2 रकबा 1.00 बीघा में वादी क्रम 1 ता 5 को 1/16, 1/16 व वादी क्रम 6 राजेन्द्र को 3/16 हिस्से का तथा खाता संख्या 54 के खसरा नम्बर 40 रकबा 05 बिस्वा में वादी क्रम 1 ता 5 को 1/72– 1/72 एवं वादी क्रम 6 राजेन्द्र को 3/72 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। एवं तहसीलदार छबडा को उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक **29.1.2025** को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छबडा जिला–बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		